आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–101 / 2022

ज्ञान्ति देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
17.03.2023	यह पुनरीक्षणवाद समाहर्त्ता, वैशाली के ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या–329 / 19 / 23 / 2020–21 में दिनांक 07.05.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा सुने गये अपील के विरुद्ध पुनः अपील सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने भी बताया कि जिला पदाधिकारी द्वारा सुने गये अपील के विरुद्ध पुनः अपील सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है अतएव उनके (वादी के विद्वान अधिवक्ता) द्वारा वाद वापसी हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने के कारण इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा अपने वाद संख्या–329 / 2019 को विभागीय पत्रांक–1780	

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक–05.03.2020 के आलोक में सुनवाई हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली को हस्तांतरित कर दिया गया था। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा दिनांक–05.01.2022 को आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध पुनः इस न्यायालय में अपील वाद दायर है। उल्लेखनीय है कि जब जिला पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले की अपील के रुप में सुनवाई किया जा चुका है, तो एक ही आदेश (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी) के विरुद्ध दो न्यायालयों (समाहर्त्ता एवं आयुक्त) में अपील वाद दायर करना Res Judicata के सिद्वांत के विरुद्ध है। साथ ही उनके विद्वान अधिवक्ता ने वाद वापसी हेतु आज दिनांक–17.03.2023 को आवेदन भी समर्पित किया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को उनके अधिवक्ता द्वारा वाद वापसी के दिये गये आवेदन के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL